

श्री.र,  
Notpress bin  
Sunderb  
A

21/2/25  
पत्रावली देश इई/पत्रावली में आगामी तारीख  
दिनांक 23/2/25 निपत है। वकील वाडी की सांघ  
लाल चौधरी द्वारा निवेदन किया गया कि वाडी  
पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
हैं। अतः पत्रावली नोट प्रेस करना चाहते हैं।  
अतः पत्रावली में शीव सुनवाई का निवेदन  
स्वीकार किया जावे। पत्रावली में उक्त शीव  
सुनवाई निवेदन स्वीकार होने से पत्रावली  
आज देश इई/पत्रावली में वकील वाडी को  
सुना गया। वकील वाडी पत्रावली पर कोई  
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वाडी द्वारा  
पत्रावली को Not press किया गया। इस  
बाबत वकील वाडी द्वारा पत्रावली आदेशिका  
पर रिपयणी दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में  
पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं रह जाती है। पत्रावली में वकील  
वाडी के आदेश निवेदन तथा लिखित  
रिपयणी को स्वीकार किया जाकर पत्रावली  
पर कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त की  
जाती है। पत्रावली फैसला हुआ है।  
जम्मा से कम होकर दायिमल दस्तूर है।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)